नस्ती क.1032/19.स.पिक्युपा/201 है -आवक दिनाक 65 / 3-1901 है -जावक दिनाक ०572 3 /201 ह

विषय:

एफ-22-53/2016/पैंतीस

का विभाग

विषय- याचिका कमांक WP 2686 / 16 द्वारा श्री राजकुमार बर्मन एवं अन्य, मण्डला विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

पंजी कमांक 1193/2016, दिनांक 1.3.2016

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें। मान, उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका कमांक WP 2686/16 द्वारा श्री राजकुमार बर्मन एवं अन्य, मण्डला दायर की गई है।

प्रकरण में संचालक, पशुपालन द्वारा शासन की ओर से पक्ष समर्थन एवं प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किये जाने हेतु उप संचालक पश् चिकित्सा सेवाएं जिला मण्डला को प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।


यदि मान्य हो तो संचालक पशुपालन के प्रस्तावानुसार उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं जिला मण्डला को प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

तदनुसार प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

उस्ति क्षमा A "अनुमोदनार्थ अस्ट्रित स


प्र.अ यथा प्रात्मावित

CCN514



53/76

## संचालनालय पशुपालन मध्यप्रदेश भोपाल



**210** 6 **申**前**申** 

/विप्र/ 1645 / जबलपुर / WP 2686 /2016 भोपाल

दिनांक 29/102/16

प्रति

अवर सचिव म प्र शासन पशुपालन विभाग मंत्रालय भोपाल

विषय:- याचिका कमांक WP 2686/16 द्वारा श्री राज कुमार बर्मन 💆 अन्य स्वीपर जिला मण्डला विरुद्ध म प्र शासन एवं अन्य।

श्री राज कुमार बर्मन उंव अन्य स्वीपर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मे याचिका कमांक WP 2686/16 दायर की गई है।

प्रकरण में शासन की ओर से पक्ष समर्थन तथा प्रत्यार्वतन की कार्यवाही हेतु उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐ जिला मण्डला को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार शासनादेश जारी करने का कष्ट करे।

संलग्न:- पत्र की प्रति।

संचालक भूति । पशुपालन भोपाल मध्यप्रदेश

NA 1997216

कमांक-----/विप्र / 1645 / जबलपुर / WP 2686 /2016 भोपाल प्रतिलिपि

दिनांक

1 कार्यालय महाधिवक्ता मा उच्च न्यायालय जबलपुर।

उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐ जिला मण्डला। शासनादेश की प्रत्याशा मे शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रत्यार्वतन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे साथ ही याचिका की प्रति प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावे।

3 नोडल अधिकारी विधि प्रकोष्ट कार्यालय संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐ जबलपुर।

कृपया याचिका की प्रति प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावे।

अधीक्षक स्थापना—अ शाखा संचालनालय पशुपालन भोपाल।

संच्रालक पशुपालन भोपाल मध्यप्रदेश प्रति,

pd 3.

٠,٠

कार्यालय संयुक्त संचालक पशु पालन विभाग ( विधि प्रकोष्ठ ) जबलपुर—संभाग—जबलपुर

/वि०प्र0 / 15-16-/

जबलपुर/दिनांक 08/2/2016

संचालक, पशु पालन विमाग मर्ग्य०, भोपाल

พР/2686/२०16 हारा राज्य द्रमप् **द्रम**ि अ अन्य विषय: -- न्यायालयीन प्रकरण कर्माक विरुद्ध म०प्र०शासन एवं अन्य ।

चपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन कर लेख है कि याचिकाकर्ती द्वारा उक्त याचिका माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय जबलपुर में म०प्र०शासन एवं अन्य के विरुद्ध दायर की गई है ।

विषयांकित याचिका में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने की कृपा करें ताकि निर्धारित समयावधि में शासकीय अधिवक्ता से प्रत्यार्वतन तैयार करवाया जा सके ।

संलग्न :- प्रकरण की संक्षेपित जानकारी ।

डा० के०के०चौधरी (नोडल अधिकारी)

कार्यालय संयुक्त संचालक,प०पा०वि० विधि प्रकोष्ठ,जबलपुर संभाग-जबलपुर दुरभाष व फैक्स - 2626056

	05-02-2016 Pending
	WRIT PETITION (WP) 2686/2016
DA Name	
First Entry Clark	Filing Clerk 2 On 05-02-2016 12:55:29
Last Updated By	Checker 14 On 05-02-2016 03:53:11
Last Listed On	
Last Order	
Updete On	NOT UPDATED
Status	Pending
Stage	
- L	(32, FRESH)
Statutory Info.	((1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES - TYPE COPY OF ANNEX. P-
	1(Entered on : 05-02-2016))
Banch	Single Banch
	— · Z · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ī	The Judgment/Order has NOT been Scanned!
Calegory	SERVICE RELATING TO STATE GOVT17100
	Salary Matter-17140
	Salary Matter-17140
Act Petitioner(a)	A PETITION FILED UNDER ARTICLE 226 AND/OR 227 OF
	CONSTITUTION
	1 RAJ KUMAR BARMAN S/DAV/Thru:- SHRI GANGA SHANKAR
	BARMAN
	POSTED AS DAILY WAGER (SWEEPER) VETERINARY HOSPITAL
	GHOTAS DIST. MANDLA , Mendla , MADHYA PRADESH
	2 PREMCHAND MARSKOLE S/D/W/Thru:- SHRI DUMMA PRASAD
	MARSKOLE
	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL
	SUKTARA DISTY, MANDLA , Mandia , MADHYA PRADESH
	3 VEER SINGH PANDRO SIDAWThor-SHRI HARIL AL PANDRO
	3 VEER SINGH PANDRO S/DAV/Thru:- SHRI HARILAL PANDRO POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL
	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL
Respondent(s)	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL
Respondent(s)	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA , Mandia , MADHYA PRADESH
Respondent(s)	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA , MANDIA , MADHYA PRADESH  1 THE STATE OF MACHYA PRADESH
Respondent(s)	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA , Mandla , MADHYA PRADESH  1 THE STATE OF MACHYA PRADESH  THROUGH DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPT. BHOPAL , Bhopal , MADHYA PRADESH
Respondent(s)	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA , Mandia , MADHYA PRADESH  1 THE STATE OF MACHYA PRADESH THROUGH DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPT. BHOPAL , Bhopal , MADHYA PRADESH  2 JOINT DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPARTEMENT
Respondent(s)	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA , Mandla , MADHYA PRADESH  1 THE STATE OF MACHYA PRADESH  THROUGH DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPT. BHOPAL , Bhopal , MADHYA PRADESH
Raspondent(s)	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA, MANDIA, MADHYA PRADESH  1 THE STATE OF MACHYA PRADESH THROUGH DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPT. BHOPAL. Bhopai, MADHYA PRADESH 2 JOINT DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPARTEMENT DISTT. JABALPUR, Jabaipur, MADHYA PRADESH
Respondent(s)	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA, MANDIA, MADHYA PRADESH  1 THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPT. BHOPAL. Bhopal, MADHYA PRADESH  2 JOINT DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPARTEMENT DISTT, JABALPUR, Jabaipur, MADHYA PRADESH  3 DEPUTY DIRECTOR VETERINARY SERVICES MANDLA
Respondent(s)	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA, MANDIA, MADHYA PRADESH  1 THE STATE OF MACHYA PRADESH THROUGH DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPT. BHOPAL. Bhopai, MADHYA PRADESH 2 JOINT DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPARTEMENT DISTT. JABALPUR, Jabaipur, MADHYA PRADESH
Respondent(s)	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA, MANDIA, MADHYA PRADESH  1 THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPT. BHOPAL. Bhopal, MADHYA PRADESH  2 JOINT DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPARTEMENT DISTT, JABALPUR, Jabaipur, MADHYA PRADESH  3 DEPUTY DIRECTOR VETERINARY SERVICES MANDLA
	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA, Mandia, MADHYA PRADESH  1 THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPT. BHOPAL. Bhopal, MADHYA PRADESH 2 JOINT DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPARTEMENT DISTT. JABALPUR, Jabaipur, MADHYA PRADESH 3 DEPUTY DIRECTOR VETERINARY SERVICES MANDLA DISTT. MANDLA, Mandia, MADHYA PRADESH
	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA, Mandia, MADHYA PRADESH  1 THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPT. BHOPAL. Bhopal, MADHYA PRADESH 2 JOINT DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPARTEMENT DISTT. JABALPUR, Jabaipur, MADHYA PRADESH 3 DEPUTY DIRECTOR VETERINARY SERVICES MANDLA DISTT. MANDLA, Mandia, MADHYA PRADESH
	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA, Mandia, MADHYA PRADESH  1 THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPT. BHOPAL. Bhopal, MADHYA PRADESH  2 JOINT DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPARTEMENT DISTT, JABALPUR, Jabaipur, MADHYA PRADESH  3 DEPUTY DIRECTOR VETERINARY SERVICES MANDLA DISTT, MANDLA, Mandia, MADHYA PRADESH  ANIRUDDH KUMAR MISHRA  GANESH PRASAD TIWARI
	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA, Mandia, MADHYA PRADESH  1 THE STATE OF MACHYA PRADESH THROUGH DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPT. BHOPAL. Bhopal, MADHYA PRADESH  2 JOINT DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPARTEMENT DISTT. JABALPUR, Jabaipur, MADHYA PRADESH  3 DEPUTY DIRECTOR VETERINARY SERVICES MANDLA DISTT. MANDLA, Mandia, MADHYA PRADESH  ANIRUDDH KUMAR MISHRA
Pel. Advocate(s)	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA, Mandia, MADHYA PRADESH  1 THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPT. BHOPAL. Bhopal, MADHYA PRADESH  2 JOINT DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPARTEMENT DISTT. JABALPUR, Jabaipur, MADHYA PRADESH  3 DEPUTY DIRECTOR VETERINARY SERVICES MANDLA DISTT. MANDLA, Mandia, MADHYA PRADESH ANIRUDDH KUMAR MISHRA  GANESH PRASAD TIWARI DAYA SHANKAR DWIVEDI
Pel. Advocate(s)	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA, Mandia, MADHYA PRADESH  1 THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPT. BHOPAL. Bhopal, MADHYA PRADESH  2 JOINT DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPARTEMENT DISTT, JABALPUR, Jabaipur, MADHYA PRADESH  3 DEPUTY DIRECTOR VETERINARY SERVICES MANDLA DISTT, MANDLA, Mandia, MADHYA PRADESH  ANIRUDDH KUMAR MISHRA  GANESH PRASAD TWARI DAYA SHANKAR DWIVEDI ADVOCATE GENERAL
Pel. Advocate(s)	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA, Mandia, MADHYA PRADESH  1 THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPT. BHOPAL. Bhopal, MADHYA PRADESH  2 JOINT DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPARTEMENT DISTT. JABALPUR, Jabaipur, MADHYA PRADESH  3 DEPUTY DIRECTOR VETERINARY SERVICES MANDLA DISTT. MANDLA, Mandia, MADHYA PRADESH ANIRUDDH KUMAR MISHRA  GANESH PRASAD TIWARI DAYA SHANKAR DWIVEDI
Pel. Advocate(s)	POSTED AS DAILY WAGER (SWEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA, Mandia, MADHYA PRADESH  1 THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPT. BHOPAL. Bhopal, MADHYA PRADESH  2 JOINT DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPARTEMENT DISTT, JABALPUR, Jabaipur, MADHYA PRADESH  3 DEPUTY DIRECTOR VETERINARY SERVICES MANDLA DISTT, MANDLA, Mandia, MADHYA PRADESH  ANIRUDDH KUMAR MISHRA  GANESH PRASAD TWARI DAYA SHANKAR DWIVEDI ADVOCATE GENERAL

My Dashboard

## मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन—462004

## आदेश

भोपाल, दिनांक 9 मार्च, 2016

कमांक एफ-22-53/2016/पैंतीस — प्रकरण में सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला मण्डला को प्रकरण कमांक WP 2686/2016 श्री राजकुमार बर्मन में मध्यप्रदेश राज्य शासन के लिए तथा शासन की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उपसांजात होने के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में, जिनमें ब्यौरे नीचे दिये गये है, निम्नलिखित कार्य करेगा:—

(1) प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेंगे जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता / शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया जाता है तो उस विभाग को राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा।

- (3) वादपत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा।

(6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेंगे :-

(क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की रिपोर्ट।

(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

- (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूचि जिन्हे साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
- (घ) मामले के विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां, इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए,
- (7) मामले के तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव अवगत रखना।
- (8) जब कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में, प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में, रिपोर्ट बनाने में, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है तथा तब वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
- (12) प्रमारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित / छुपी हुई नहीं रह जाए।

संचालगालय पशुपालग विभाग मध्यप्रदेश भोपाल

दिनांकः 11:02 2014

//आदेश//

याचिका क्रमांक W.P.-2051/2011 द्वारा श्री अशोक यादव, प्रयोगशाला तकनीशियन कार्यालय संचालक पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान रसलपुरा महूँ में मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.12 को निर्देश जारी किए गए कि प्रतिवादी क.1 यथा प्रमुख सचिव म.प्र. शासन पशु पालन विभाग एवं प्रतिवादी क.2 यथा प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ट) संबंधितों के वेतन पुनः निर्धारण संबंधी प्रकरण पर नए सिरे से विचार करें।

मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग के पत्र क. एफ 22-34/2011/35 दिनांक 20.01.14 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मान. न्यायालयीन निर्देशों के पालन में समिति की बैठक दिनांक 25. 03.13 को आहूत की गई। सिमिति हार निर्मय लिया गया कि "वर्ष 2006 के पूर्व नियुक्त प्रयोगशाला तकनिशियनों को अन्य विभागों में पदस्य प्रयोगशाला तकनिशियनों की शैक्षणिक अर्हता/प्रशिक्षण समान न होने के कारण ब्रम्हस्वरूप समिति की अनुशंसा के अनुसार अन्य विभागों के प्रयोगशाला तकनिशियनों के समान वेतनमान स्वीकृत करने की अनुशंसा नहीं की जाती है।"

अतः प्रतिवादी कमांक १ एवं २ द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आपका अध्यावेदन अमान्य किया गया है। संलग्न- शासन का पत्र दिनांक २०:०१.१४

> (डॉ.आर.के.सेंकहे) संचालक पशुपालन मध्यप्रदेश भोपाल

प्रमुख सचिव, नध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, मंत्रालय भोपाल।

मंगुज सायप, नव्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, मंत्रालय भाषाल
 संव्रातक पशु स्वास्थ्य एवं जैतिक उत्पाद संस्थान महूँ इंदौर।

4. संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं इंदौर संभाग इंदौर/भोपाल/रीवा/जबलपुर/सागर म.प्र.।

नोडल अधिकारी विधि प्रकोष्ठ संचालनालय पशु पालन विभाग भोपाल।
 उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भोपाल।

7. उपसंचालक विधि प्रकोष्ठ कार्यालय संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जबलपुर ।

8. संबंधित श्री देश कार्ट्या स्थान पशु प्रयोगशाला तकनीशियन, द्वारा संचालक पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान रसलपुरा महूँ इंदौर/संयुक्त संचालक/उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, संभाग/जिला कार्य के पालन में सुवनार्थ।

1. Col



संचालक पशुपालन मध्यप्रदेश भोपाल मि (13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह जैसे ही वाद की विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की

जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

(14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकम में पारित किए गए किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उन आदेशों की प्रति जैसे ही पारित किया जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(कलिस्ता कुजूर)

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग भोपाल, दिनांक 7 मार्च, 2016

पु.कमांक एफ-22-53 / 2016 / पैतीस प्रतिलिपि-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

संचालक, पशुपालन, मध्यप्रदेश, भोपाल।

कार्यालय-महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय जबलपुर।

4. उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला मण्डला प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेत अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिए वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए।

> अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग